न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री अमित शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आयुक्तालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तगण

1. मनोज अग्रवाल पुत्र श्री जयशिव प्रसाद अग्रवाल, (प्रोपराईटर एवं विक्रेता)

फर्मः– ओरिया विनोद मार्केटिंग, आजाद मैदान, आबूरोड़, जिला– सिरोही
पताः 6, बैंक कॉलोनी, केसरगंज, आबूरोड़, तहसील– आबूरोड़, जिला–सिरोही

2. अशोक कुमार कालिदास भारतीय पुत्र श्री कालिदास भारतीय, (खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता/प्रोपराईटर)

फर्मः– श्री वीर मिल्क प्रोडक्टस्, 108 हनी इण्डस्ट्रीज, At. Post. Masma, Ta. Olpad, Surat, Gujrat-394110
पताः:– सी–904, वैष्णोदेवी स्काई, वैष्णोदेवी रोड़, सुरत, गुजरात–395005

3- श्री वीर मिल्क प्रोडक्टस्, 108 हनी इण्डस्ट्रीज, At. Post. Masma, Ta. Olpad, Surat, Gujrat-394110

F.S.S.Act Case No. 63/2025

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

–: निर्णय :– **दिनांक 16 दिसम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री अमित शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन, प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अमित शर्मा द्वारा दिनांक 12–10–2024 को मैसर्स ओरिया विनोद मार्केटिंग, आजाद मैदान, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मनोज अग्रवाल पुत्र श्री जयशिव प्रसाद अग्रवाल, निवासी– 6, बैंक कॉलोनी, केसरगंज, आबूरोड़, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ गाय घी सांवरों का नमूना संख्या S-2506 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1508/Act/2024/1560 दिनांक 30–10–2024 में अमानक (sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011 due to presence of foreign fat पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 58 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 10–12–2025 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः मनोज अग्रवाल पुत्र श्री जयशिव प्रसाद अग्रवाल व अशोक कुमार कालिदास भारतीय एवं प्रतिवादी संख्या 3 (तीन) के प्रोपराईटर अशोक कुमार कालिदास भारतीय ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया, जिस पर प्रतिवादीगण को दिनांक 10–12–2025 को सुना गया, जिन्होंने यह व्यक्त किया कि ये उनका प्रथम अपराध है व गलती सुधार कर दी व भविष्य में मानक व गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री ही विक्रय करेंगे। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 10–12–2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये।

.........पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री अमित शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल, आयुक्तालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर, दिनांक 12–10–2024 को 01–30 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स ओरिया विनोद मार्केटिंग, आजाद मैदान, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर प्रोपराईटर व विक्रेता की हैसियत से मनोज अग्रवाल पुत्र श्री जयशिव प्रसाद अग्रवाल, निवासी– 6, बैंक कॉलोनी, केसरगज, आबूरोड़, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री अमित शर्मा, सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स ओरिया विनोद मार्केटिंग, आजाद मैदान, आबूरोड़ के निरीक्षण के दौरान मैसर्स ओरिया विनोद मार्केटिंग, आजाद मैदान, आबूरोड़, जिला– सिरोही की दुकान के अन्दर परिसर में गाय घी सांवरों, विभिन्न पैकिंग में आम जनता को बिक्री हेतु रखा हुआ पाया व विक्रय किया जा रहा था। मौके पर ओरिया विनोद मार्केटिंग के अन्दर रखे हुए खाद्य पदार्थ गाय घी सांवरों मे मिलावट का अन्देशा होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता मनोज अग्रवाल पुत्र श्री जयशिव प्रसाद अग्रवाल को गवाह श्री पुखराज अग्रवाल पुत्र हजारीलाल अग्रवाल, निवासी-- आजाद मैदान, आबूरोड़ के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अमित शर्मा ने मैसर्स ओरिया विनोद मार्केटिंग, आजाद मैदान, आबूरोड़ के अन्दर परिसर में आम जन के विक्रय हेतु रखे हुए 88 लीटर खाद्य पदार्थ गाय घी सांवरों की विभिन्न पैकिंग में से गाय घी सांवरों के 200–200 एम.एल. के 8 पैक पैकेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 562/– (रुपये पांच सौ बासठ मात्र) प्रतिवादी मनोज अग्रवाल पुत्र श्री जयशिव प्रसाद अग्रवाल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2506, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ गाय घी सांवरों आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता मनोज अग्रव्राल पुत्र श्री जयशिव प्रसाद अग्रवाल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अमित शर्मा ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गाय घी सांवरों के खरीदशुदा 200–200 एम.एल. के 8 पैक पैकेटों में से 2–2 पैकेटों को मिलाकर चार पैकेट बनाये एवं प्रत्येक नमूना पैकेट/भाग पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा गाय घी सांवरों के चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता मनोज अग्रवाल पुत्र श्री जयशिव प्रसाद अग्रवाल तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अमित शर्मा ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया व नमूनीकरण के बाद शेष बचे विभिन साईजों के 86.200 लीटर गाय घी सावरों को नियमानुसार सील सीज कर खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में सौपा गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता मनोज अग्रवाल पुत्र श्री जयशिव प्रसाद अग्रवाल व उक्त गवाह तथा श्री अमित शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया

......पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

तथा फार्म नम्बर VI की दो—दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग—अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अमित शर्मा ने दिनांक 21—10—2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, श्री सिद्धार्थ, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 12—10—2024 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अमित शर्मा द्वारा मैसर्स ओरिया विनोद मार्केटिंग, आजाद मैदान, आबूरोड़ में प्रतिवादी विक्रेता मनोज अग्रवाल पुत्र श्री जयशिव प्रसाद अग्रवाल से खाद्य पदार्थ गाय घी सांवरों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ गाय घी सांवरों के नमूना संख्या S-2506 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./1508/Act/2024/1560 दिनांक 30—10—2024 में खाद्य पदार्थ गाय घी सांवरों का नमूना संख्या S-2506, अमानक (Sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011 due to presence of foreign fat पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी मनोज अग्रवाल पुत्र श्री जयशिव प्रसाद अग्रवाल की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स ओरिया विनोद मार्केटिंग, आजाद मैदान, आबूरोड़ द्वारा गाय घी सांवरों की विभिन्न पैकिंगों को बिल इनवोईस नम्बर GST/095 दिनांक 05—10—2024 से पैकिंग अवस्था में फर्म श्री वीर मिल्क प्रोडक्टस्, 108, हनी इण्डस्ट्रीज, At. Post- Masma, Ta. Olpad, Surut से क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी संख्या 2 (दो) अशोक कुमार कालिदास भारतीया की प्रोपराईटरी फर्म एवं खाद्य पदार्थ गाय घी सांवरों की निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, जिसके अनुसार अमानक (sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011 due to presence of foreign fat खाद्य पदार्थ गाय घी सांवरों के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी संख्या— 2 (दो) अशोक कुमार कालिदास भारतीय की प्रोपराईटरी निर्माता फर्म श्री वीर मिल्क प्रोडक्टस्, 108, हनी इण्डस्ट्रीज, At. Post- Masma, Ta. Olpad, Surut दोषी है, जिसने अमानक (Sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011 due to presence of foreign fat खाद्य पदार्थ गाय घी सांवरों का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी मनोज अग्रवाल पुत्र श्री जयशिव प्रसाद अग्रवाल को दोषमुक्त करते हुए अमानक (sub-standard) & Contravenes Regulation No. 2.3.7 (2) FSSR 2011 due to presence of foreign fat खाद्य पदार्थ गाय घी सांवरों के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत प्रतिवादी अशोक कुमार कालिदास भारतीय पुत्र कालिदास भारतीय, खाद्य कारोबारकर्ता, प्रोपराईटर एवं निर्माता, फर्म श्री वीर मिल्क प्रोडक्टस्, 108, हनी इण्डस्ट्रीज, At. Post- Masma, Ta. Olpad, Surut, Gujrat पर राशि रुपये 25,000/— (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं

.......पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित गाय घी सांवरो जो आवेदक श्री अमित शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर सील सीज किया गया है उसका नियमानुसार निस्तारण करे। साथ ही, प्रतिवादी अशोक कुमार कालिदास भारतीय को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही